उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण , इन्दिरा भवन, लखनऊ

न्यायालय संख्या–1

उपस्थितः– मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष

निर्देश याचिका संख्या– 878/2024

नृपेन्द्र मिश्रा , उम्र लगभग 44 वर्ष, आत्मज स्व0 श्री हरिहर प्रसाद मिश्रा, निवासी, पूरे गोसैन अमावां, (Pure Gosain Amawan) लालगंज, प्रतापगढ़, थाना–लालगंज, जिला–प्रतापगढ़। वर्तमान तैनाती प्रधान आरक्षी, आबकारी विभाग, रायबरेली।

.... याची

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा अपर मुख्य सचिव, / प्रमुख सचिव आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन, सिविल सचिवालय, लखनऊ। (State of U.P.through Additional Chief Secretary/Principal Secertary, Excise Department, U.P. Government , Civil Secretariate, Lucknow.)
2. आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज, उ0प्र0।(Excise Commissioner, U.P. Prayagraj,U.P..)
3. अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन) प्रयागराज, उ0प्र0।(Additional Excise Commissioner(Administration)Prayagraj, U.P.)

.... विपक्षीगण

श्री देवांशमणि तिवारी, याची के अधिवक्ता।
श्री पंकज सिंह, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण की ओर से ।

निर्णय

(द्वारा मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष)

याची की ओर से यह याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत दण्डादेश दिनांकित 07.11.2022 एवं 2 किता अपीलीय आदेश दिनांकित 28.04.2023 एवं 12.02.2024 जो क्रमशः संलग्नक संख्या– 1, 2 व 3 के रूप में पत्रावली पर मौजूद है, को निरस्त करने हेतु तथा सभी पारिणामिक सेवा लाभ पाने हेतु दिनांक 29.04.2024 को प्रस्तुत की गयी है।

2. आदेश दिनांकित 07.11.2022 द्वारा विपक्षी संख्या–3, अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन) प्रयागराज, उ0प्र0. ने याची की एक वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से रोके जाने एवं परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया। दण्डादेश दिनांकित 07.11.2022 के विरूद्ध याची द्वारा प्रस्तुत दोनों अपील भी आदेश दिनाकित 28.04.2023 एवं 12.02.2024 द्वारा निरस्त की गयीं।

3. तथ्यों के अनुसार याची को आरोप पत्र दिनांकित 20.04.2020 निर्गत कर यह आरोप लगाया गया किः

vkjksi l[;k&1

"याची की आबकारी प्रधान सिपाही क्षेत्र–1 रायबरेली में तैनाती के दौरान उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ प्रभार, लखनऊ के पत्र संख्या–1408/ उप0आ0आ0/लखनऊ/म0अभि0/2019/रायबरेली/दिनांक जून 17, 2019 द्वारा जिला आबाकारी अधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्याः 279/रिपोर्ट/एफ0आई0आर0/2019/रायबरेली/दिनांक 17.06.2019 का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया है कि दिनांक 16.06.2019 को समय 06:00 बजे प्रातः आबकारी एवं एस0टी0 टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर टिकरा बाजार में एक संदिग्ध वाहन की तलाशी ली गयी। तलाशी के दौरान उक्त वाहन में 10 पेटी मस्तीह ब्राण्ड प्रत्येक 200 एम0एल0 के कुल 450 अदद पौवा मौजूद पाये गये। मौके पर सूरज लाल उर्फ सुशील यादव पुत्र गंगालाल यादव नि0 जुगराजपुर थाना ऊँचाहार रायबरेली एवं रत्नेश मिश्रा पुत्र केशव मिश्र निवासी अमरीशपुरी कालूनी रायबरेलरी से कड़ाई से पूँछताँछ करने पर बताया गया कि पालेसर चौराहे पर स्थित रामतीरथ के घर में स्प्रिट से शराब बनाई जाती है।

उक्त से सिद्ध होता है कि अवैध शराब का कारोबार याची के क्षेत्र में काफी दिनों से किया जा रहा था, जिसकी जानकारी याची को नहीं थी। इस प्रकार याची के अपने क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य शिथिल है तथा याची की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा शिथिलता प्रदर्शित होती है।

इस प्रकार याची उ0प्र0 राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के नियम– 3(1) व 3 (2) के उल्लंघन का भी दोषी है।"

vkjksi l[;k&2

" याची की प्रधान आबारी सिपाही, क्षेत्र–1 रायबरेली में तैनाती के दौरान दिनांक 16.06.2019 को समय 06:00 बजे प्रातः दबिश के दौरान पकड़े गये अभियुक्तों श्री सूरज लाल एवं श्री रत्नेश मिश्रा द्वारा बताये गये स्थान पर आबकारी एवं एस0टी0एफ0 टीम द्वारा दबिश देकर मौके से श्री रामतीरथ यादव पुत्र रामदुलारे यादव नि0ग्राम मनेहरू, भदोखर, रायबरेली एवं धर्मेन्द्र कुमर पुत्र अमित नि0 ग्राम मुगल का पुरवा थाना भदोखर रायबरेली को पकड़ लिया गया। उन दोनों को लेकर मौके पर मकान के अंदर तलाशी लेने पर 12,800 अदद खाली पौवा प्रत्येक 200 एम0एल0 स्प्रिट से भरे हुए प्लास्टिक के जरीकेन कुल 65 अदद प्रत्येक 50 ली0 सुपीरियर इंडस्ट्रीट लिमिटेड, बरेली के 8000 ढक्कन, रेडिको खेतान लि0 के हरे रंग के ढक्कन 20000 मस्तीह ब्राण्ड के लेबल 43,000 अदद क्युआर0 कोड 70,000 अदद, खाली गत्ते 1,000 यूरिया एक बोरी, टेप, रोल, टेप कटर, खाली जरीकेन पानी के गैलन आदि तथा एक मोटर साइकिल पैशन प्रो यू0पी0 33 ए डब्ल्यू 6026 भी बरामद हुई।

प्रधान आबकारी सिपाही का दायित्व होता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत अवैध शराब के अड्डो पर सतर्क निगरानी रखे तथा अपने क्षेत्र के निरीक्षक को अवगत करातेग हुए उसके समूल विनिष्टीकरण की कार्यवाही कराये। किन्तु द्वारा इस सम्बन्ध में घोर उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी। उक्त से सिद्ध होता है कि अवैध शराब का करोबार याची के क्षेत्र में काफी दिनों से किया जा रहा था जिसकी जानकारी याची को नहीं थी। इस प्रकार याची का अपने क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य शिथिल है तथा याची को अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा शिथिलता प्रदर्शित होती है।

इस प्रकार याची उ0प्र0 राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के नियम– 3(1) व 3 (2) के उल्लंघन का भी दोषी है।"

vkjksi la[;k&3

याची प्रधान आबकारी सिपाही, क्षेत्र–1 रायबरेली में तैनाती के दौरान दिनांक 16.06.2019 को समय 06:00 बजे प्रातः दबिश के दौरान पकड़े हुए व्यक्तियों द्वारा बताये गये स्थल पर पुनः संयुक्त टीम द्वारा दबिश दी गयी। दबिश के दौरान दो व्यक्तियों को पकड़ा गया और एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। मौके पर नियमानुसार तलाशी लेने पर 06 पेटी मस्तीह ब्राण्ड के कुल 270 पौवे, 12000 खाली पौवे, एक अदद पैकिंग मशीन 50 जरीकेन स्प्रिट से भरे हुए प्रत्येक में (50 लीटर), ढक्कन 6000 (सुपीरियर इन्डस्ट्रिी बरेली अंकित) 14000 ढक्कन (रेडिको खेतान लि0 अंकित) मस्तीह ब्राण्ड के लेबुल 20000 अदद, क्यू0आर0कोड 40000 अदद, कैरोमेल कलर एक प्लास्टिक के डिब्बे में खाली गत्ते 600 अदद, यूरिया 01 बोरी आदि बरामद किये गये गिरफ्तार 07 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 272 आई0पी0सी0 व 60, 72 आ0अधि0 63 कापी राइट एक्ट व 104 रेड मार्क अधिनियम व 207 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत एस0टी0एफ0 द्वारा मु0अ0सं0 262 दिनांक 16.06.2019 थाना भदोखर जनपद रायबरेली में पंजीकृत कराया गया।

उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ द्वारा उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं एफ0आई0आर0 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत संदिग्ध वाहन एस0टी0एफ0 इकाई द्वारा पकड़ा गया है जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई। इसकी जानकारी याची को नहीं थी, एस0टी0एफ0 इकाई की सूचना पर याची को अग्रेतर कार्यवाही हेतु सम्मिलित किया गया है।

उक्त से सिद्ध होता है कि अवैध शराब का कारोबार याची के क्षेत्र में काफी दिनों से फल–फूल रहा था जिसकी जानकारी याची नहीं थी। इस प्रकार याची द्वारा प्रधन आबाकारी सिपाही के दायित्वों का निर्वहन न करके क्षेत्र के प्रवर्तन कार्यो के प्रति शिथिलता बरती गयी, जिससे याची के कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही तथा शिथिलता प्रदर्शित होती है।

इस प्रकार याची उ0प्र0 राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के नियम– 3(1) व 3 (2) के उल्लंघन का भी दोषी है।"

4. याची द्वारा उक्त आरोप पत्र का जवाब दिनांक 28.07.2020 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि दिनांक 31.05.2019 से 30.06.2019 शासन के पत्र दिनांकित 30.05.2019 द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा था, तब याची आबकारी निरीक्षक के साथ दिनांक 16.06.2019 को दबिश कार्यहेतु निकला था, मुखबिर द्वारा एक संदिग्ध वाहन टिकरा बाजार की ओर जाने की सूचना मिली, जिस पर विश्वास करके क्षेत्र–1 का पूरा स्टाफ टिकरा बाजार की ओर रवाना हुआ, जब वह रास्ते में ही था तो उन्हें एस.टी.एफ. लखनऊ एवं थाना भड़ोखर पुलिस द्वारा टिकरा बाजार में महेन्द्रा वाहन संख्या यू0पी0–33 ए0वाई0–4892 की तलाशी में 10 पेटी मस्ती ब्राण्ड

अवैध देशी शराब की बरामदगी व दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने की सूचना निरीक्षक महोदय के मोबाईल नम्बर पर दी गयी। ये लोग भी मौके पर पहुँचे। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूँछतॉछ करने पर उन्होंने बताया कि पालेशर चौराहे पर स्थित रामतीरथ के घर में स्प्रिट से देशी व अंग्रेजी तैयार की जाती है, इस सूचना पर एस.टी.एफ. लखनऊ, आबकारी स्टाफ एवं थाना भदोखर की पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबन्दी करते हुए रामतीरथ के मकान पर दबिश दी तो वहॉ अधिक मात्रा में स्प्रिट से भरे हुए ड्रम, प्लास्टिक के टब, मस्ती ब्राण्ड के लेबिल, क्यू.आर.कोड टेपरोल, खाली जरीकेन, पानी के गैलन, खाली गत्ते, यूरिया, खाली शीशियॉ मिलीं। मौके पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा दो अभियुक्त भागने में सफल रहे, दो मोटर साईकिल भी बरामद हुई। उपरोक्त बरामद समस्त अवैध शराब एवं अन्य सामग्री को सील कर नमूने लिये गये। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूँछतॉछ करने पर पता चला कि शराब की एक अवैध फैक्ट्री /गोदाम है जहॉ पर माल बनाकर तैयार किया जाता था। इन तीनों टीमों द्वारा जगतपुर, भड़ोखर सीमा पर स्थित लखनऊ, इलाहाबाद राजमार्ग पर एक मकान की तलाशी से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा तलाशी में 06 पेटी (270 पौवे) मस्तीह ब्राण्ड तथा स्प्रिट से भरे 50 जरीकेन, क्यू.आर. कोड, लेबुल मस्तीह ब्राण्ड, रेडिको खेतान के ढक्कन, एक डिब्बा कैरेमल, 1200 खाली शीशियॉ व अन्य सामान बरामद हुआ। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. संख्या– 0262, दिनांक 16.06.2019 थाना भदोखर, रायबरेली में दर्ज करायी गयी। इस प्रकार याची द्वारा प्रारम्भ से ही निगरानी रखी गयी जिसमे उक्त दबिश व गिरफ्तारी की गयी थी, इस सम्बन्ध में वह एक दिन पहले से ही आबकारी विभाग एस.टी.एफ. के सम्पर्क में था तथा आबकारी विभाग का एक सिपाही गोविन्द भी एस. टी.एफ. के साथ उनकी मदद हेतु साथ में था। याची क्षेत्र–1 रायबरेली में आबकारी सिपाही था, इस क्षेत्र में कुल 05 थाना क्षेत्र आते हैं। इस प्रकार क्षेत्र में 05 प्रधान आबकारी सिपाही कार्यरत थे सभी प्रधान/आबकारी सिपाहियों द्वारा अपने –अपने बीट क्षेत्र में भ्रमण करके आबकारी अपराधों की सुरागरसी करके आबकारी निरीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए उनके निर्देशन में दबिश की कार्यवाही योजित की जाती रही तथा सम्बन्धित थानों से भी समन्वय स्थापित किया जाता रहा। वर्ष 2018–19 में 2428 छापे डाले गये जिसमें 352 अभियुक्त पकड़े गये एवं 17967.52 लीटर अवैध शराब पकड़ी गयी, वर्ष 2019–20 में माह जून तक 694 छापे डाले गये जिसमें 120 अभियोग पकड़े गये एवं 7807 लीटर अवैध शराब पकड़ी गयी। याची द्वारा अपनी वीट का वर्ष 2018–19 का पूरा चार्ट पेश किया गया जिसमें कहा गया उप आबकारी आयुक्त, लखनऊ प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारी रायबरेली के पत्र दिनांकित 17.06.2019 में उसके विरूद्ध कुछ नहीं कहा गया है। क्षेत्र–1 रायबरेली में प्रवर्तन कार्य अन्य निरोधक क्षेत्रों के सापेक्ष सर्वोत्कृष्ट रहा है, अतः उसके अपने क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य शिथिल होने व कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप तथ्यों से

परे तथा आधारहीन है। साथ ही यह भी कहा गया कि आदेश दिनांकित 28.04.2023 जो सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा पारित आदेश है के विरूद्ध पारित आदेश दिनांकित 12.02.2024 विशेष सचिव द्वारा पारित आदेश है जो सचिव स्तर से नीचे स्तर के अधिकारी द्वारा पारित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। जॉच में विपक्षी पक्ष से उसके खिलाफ कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, नियमावली, 1999 की धारा–7(vii) के विपरीत विभागीय पक्ष से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी। जॉच का दिन, समय व स्थान भी उन्हें नहीं बताया गया, अतः प्रश्नगत आदेशों को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

5. विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा बहस की गयी कि याची के क्षेत्र में शराब का कारोबार बड़े स्तर पर हो रहा था, किन्तु याची द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जानकारी न रखना एवं उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को न देना उसके कार्य में शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है। सभी आदेश मुखरित व सकारण पारित आदेश है जिनमें किसी नियम, कानून अथवा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं हुआ हो, ऐसा याची पक्ष का कथन नहीं है। जॉच में विपक्ष द्वारा किसी मौखिक साक्षी का अंकन नही किया गया मात्र दस्तावेजी साक्ष्य का अंकन किया गया क्योंकि विपक्षी पक्ष से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तावित ही नहीं थी। किसी भी आदेश में कोई भी अवैधानिकता न होने के कारण प्रश्नगत आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।

उभयपक्ष को सुनकर व पत्रावली का अवलोकन कर मै निम्न निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ।

6. यह स्वीकृत तथ्य है कि याची की उपस्थिति में एस.टी.एफ. द्वारा थाना भदोखर पुलिस के साथ एक वाहन में अवैध 10 पेटी मस्तीह ब्राण्ड प्रत्येक 200 एम0एल0 के कुल 450 अदद पौवा अवैध मदिरा बरामद हुई। मौके पर 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया उनकी निशानदेही पर रामतीरथ के घर से 12800 अदद खाली पौवा प्रत्येक 200 एम.एल., 65 जरीकेन स्प्रिट भरे हुए प्रत्येक 50 लीटर तथा ढक्कन लेबुल क्यू0आर0कोड,खाली गत्ते व अन्य सामान बरामद हुआ, दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए तथा सभी पकड़े गये अभियुक्तों की निशानदेही पर एक स्थान पर दबिश देने पर पुनः दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, 06 पेटी मस्तीह ब्राण्ड कुल 270 पौवे , एक अदद पैकिंग मशीन 50 जरीकेन स्प्रिट से भरे हुए प्रत्येक 50 लीटर एवं ढक्कन लेबुल क्यू.आर.कोड आदि पकड़े गये, इस प्रकार उक्त दबिश एवं गिरफ्तारी में याची का पूरा सहयोग रहा, यदि जॉच आख्या का अवलोकन किया जाये तो उक्त जॉच में याची के साथ–साथ आबकारी सिपाही गोबिन्द यादव,प्रधान आबकारी सिपाही राघवेन्द्र प्रकश तिवारी प्रकाश तथा आबकारी निरीक्षक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा सभी के बयान अंकित हुए जिनमें याची के विरूद्ध आरोपों का सिद्ध होना प्रतीत नहीं पाया गया। किसी भी गवाह ने याची के विरूद्ध कोई कथन किसी प्रकार का नहीं किया,

जॉच निष्कर्ष में भी जहॉ यह अंकित है कि आरोप संख्या 1 लगायत 3 याची के विरूद्ध पूर्णतया सिद्ध होना प्रतीत नहीं होते हैं वहीं यह भी अंकित किया गया कि क्षेत्र में अवैध शराब के अड्डों पर सतर्क निगरानी रखा व समूल विनष्टीकरण की कार्यवाही का मूल दायित्व निरोधक क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक के साथ सम्बन्धित आवंटित बीट के कर्मचारी का भी होता है इसलिए अपचारी कर्मचारी अपने दायित्व से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है एवं पुनः अंकन किया गया कि जॉच में पाये गये तथ्य एवं अभिलेखों के आधार पर अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार अन्तिम रूप से जॉच अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी कि अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होते है एवं यह भी अंकन किया गया कि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज, उ0प्र0 चाहें तो कार्यालय आबकारी आयुक्त उ0प्र0 प्रयागराज के आदेश संख्या– 1493–1518/पीएस/वि0का0/दिनांक प्रयागराज 23.09.2020 में उल्लिखित आदेशानुसार समेकित प्रकरणों में एक ही जॉच अधिकारी नामित कर सकते हैं।

7. उक्त जॉच आख्या दिनांक 24.12.2020 को प्राप्त होने के उपरान्त दण्डाधिकारी अपर आबकारी आयुक्त, प्रशासन, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 07.11.2022 पारित किया गया। याची द्वारा बहस की गयी कि जब जॉच अधिकारी द्वारा याची को आरोप में दोषी नहीं पाया गया तो दण्डादेश में दण्डाधिकारी को कि वह जॉच अधिकारी की राय से वह सहमत नहीं है, इस का कारण अंकित करना था तथा उक्त जॉच रिपोर्ट की एक प्रति याची को देनी थी एवं उससे पुनः स्पष्टीकरण मॉगना था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। धारा –9 के सब क्लाज 2 एवं 4 के अनुसार यदि कर्मचारी आरोप से इंकार करता है तो जॉच में प्रस्तावित सभी गवाहों तथा उनके समस्त कथन याची के समक्ष अंकित करके याची को उन्हें प्रति परीक्षण का मौका दिया जाना चाहिए एवं इसके पश्चात आरोपी को भी अपनी मौखिक साक्ष्य देने व अपना बचाव प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना चाहिए एवं यदि विपक्षी पक्ष से कोई मौखिक साक्ष्य नही दी जाती है तो गवाहों को तलब न करने का कारण स्पष्ट करना होगा, ऐसा विपक्षी पक्ष से कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि सीधे याची के विरूद्ध दण्डादेश पारित कर दिया गया जो कि नियम विरूद्ध है।

8. इस प्रकार उपरोक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि याची को जहॉ उसका अपने क्षेत्र में प्रवर्तन कार्य शिथिल तथा याची को अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही करने का आरोपी पाया गया और इस आशय का उस पर आरोप लगाया गया, जॉच में जॉच अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया और आरोप के पश्चात नियमावली, 1999 के अनुपालन में न तो याची को पुनः नोटिस प्रस्तुत किया गया एवं न ही पुनः जॉच करके याची के विरूद्ध किसी साक्षी को ही पेश कराया गयी। साक्षी पेश न करने के साथ उसका कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया। जॉच के सम्बन्ध में कोई समय, स्थान व दिन भी याची को नहीं बताया गया तथा

जॉच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने के सम्बन्ध में कोई भी निष्कर्ष दण्डादेश में किसी प्रकार की अंकित नहीं किया गया एवं 17.06.2019 दिनांकित उप आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी के पत्रों में भी याची के विरूद्ध कदापि कोई आरोप नहीं लगाया गया है। जॉच में भी याची के विरूद्ध कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी तथा जॉच में आरोप पत्र में लगाये आरोप का उसे दोषी नहीं पाया गया, अतः दण्डाधिकारी द्वारा जॉच से असहमत होने सम्बन्धी कोई कारण अथवा आधार अंकित न करने तथा नियमावली, 1999 के प्राविधानों का अनुपालन न करने के कारण प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 07.11.2022 एवं उसके अनवर्ती आदेशों दिनांकित 28. 04.2023 एवं 12.02.2024 कायम रहने योग्य नहीं हैं। निष्कर्षतः याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांकित 07.11.2023, अपीलीय आदेश दिनांकित 28.04.2023 एवं 12.02. 2024 (कमशः संलग्नक संख्या– 1 2 एवं 3) निरस्त किये जाते हैं।

इन आदेशों के कारण याची का कोई सेवा लाभ यदि रोका गया है तो उक्त सेवा लाभ भी याची को देय होगा।

विपक्षीगण इस आदेश का अनुपालन इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित एवं सुनाया गया।

ह0/–

(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

दिनॉक–24 अप्रैल, 2025
एम0के0/–